



## कार्यालय प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सालय, जयपुर (राजस्थान)

फोन.नं.- 0141-2619020

ई.मेल-Principalsmsmc@Rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ/एमसी/शैक्षणिक/2022/

दिनांक :

### कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.7(119)यूजी-2021/चि.शि.नि./एके/2021/15944 दिनांक 24/03/2022 के क्रम में निम्नलिखित चिकित्सकों की पर्यवेक्षकों के रूप में टीम गठित की जाती है जो राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में यू.जी.(एमबीबीएस/बीडीएस) एवं पी.जी. काउन्सिलिंग-2021 में मॉप-अप राउण्ड/अन्तिम ज्वाइनिंग पूर्ण होने तक उनके नाम के सम्मुख मेडिकल कॉलेज में जाकर यूजी एवं पीजी कोर्स में ज्वाइन करने वाले और ज्वाइन नहीं करने वाले एवं ज्वाइन नहीं करने के कारण सहित पर्यवेक्षण कर अभ्यर्थियों की सूचना संलग्न प्रपत्र में तैयार कर दोनो पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर एवं संबन्धित कॉलेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर करवाकर रिपोर्ट चैयरमैन, नीट यू.जी. एवं पीजी काउन्सिलिंग बोर्ड-2021 तथा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा जयपुर को सूचित करेंगे :-

क्र.सं.	पर्यवेक्षकों के नाम	संबन्धित कॉलेज का नाम
1.	डॉ. धीरज सक्सेना, आचार्य, एनाटोमी	महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
2.	डॉ. भंवर लाल यादव, आचार्य, सर्जरी	
3.	डॉ., संजय सिंधल, आचार्य, फिजियोलोजी	निम्स मेडिकल कॉलेज, जयपुर
4.	डॉ., लोकेन्द्र शर्मा, आचार्य, फॉर्मिकलोजी	
5.	डॉ., नन्दलाल, आचार्य, एनाटोमी	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इन्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर
6.	डॉ. धीरज जैफ, आचार्य, फिजियोलोजी	

- 5 -  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

दिनांक : 25/03/2022

क्रमांक : एफ/एमसी/शैक्षणिक/2022/14429-30  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. अति. निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशाल चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. चैयरमैन, नीट पीजी काउन्सिलिंग बोर्ड-2021 एवं प्रधानाचार्य, आर.यू.एच.एस. राजकीय डेन्टल कॉलेज, जयपुर।
5. डॉ. अमरजीत मेहता, अति. प्रधानाचार्य (शैक्षणिक), एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, एनाटोमी / फॉर्मिकलोजी / फिजियोलोजी / सर्जरी
7. संबन्धित चिकित्सक द्वारा आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
8. प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा / लेखा शाखा
9. निजी सचिव, प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक